

**उत्तराखण्ड शासन**  
**कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग**  
 सं. /46/ XXVI-A-1/2025  
 देहरादून : दिनांक ....

## कार्यालय आदेश

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 56/का.कि.वि./2010 दिनांक 25.11.2010 द्वारा विकासपरक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया तथा कार्यालय आदेश सं० 56/का.कि.वि./2010 दिनांक 23.07.2024 द्वारा, उक्त प्रकोष्ठ में निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों का उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों के आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों के भरे जाने की तिथि, जो भी पहले हो, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायं, से दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक के लिए पुर्नजीवित किया गया :-

| क्रमांक | पदनाम                             | वेतनमान                                                                                                   | वेतन ग्रेड | पदों की संख्या                                                   |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.      | मुख्य समन्वयक                     | —                                                                                                         | —          | सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पदेन मुख्य समन्वयक रहेंगे।      |
| 2.      | समन्वयक                           | —                                                                                                         | —          | अपर सचिव/समकक्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पदेन समन्वयक रहेंगे। |
| 3.      | शोध अधिकारी                       | 15600—39100<br>(सेवास्थानान्तरण/<br>प्रतिनियुक्ति/संविदा)                                                 | 5400       | 01                                                               |
| 4.      | कनिष्ठ सहायक<br>/कम्प्यूटर ऑपरेटर | सेवा प्रदाय संस्था के<br>माध्यम से नियत<br>मानदेय रु 18000.<br>00/—(सर्विस चार्ज +<br>जी०एस०टी० अतिरिक्त) | —          | 01                                                               |
| 5.      | चपरासी/पत्रवाहक                   | नियत मानदेय रु 15000.<br>00/—(सेवा चार्ज<br>+जी०एस०टी० अतिरिक्त)                                          | —          | 01                                                               |
|         | योग:—                             |                                                                                                           |            | 03                                                               |

2. अतः कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के उक्त पदों की निरन्तरता, दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 तक किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रश्नगत प्रकोष्ठ के संदर्भ में कार्यालय ज्ञाप सं० 56/का.कि.वि./2010 दिनांक

25.11.2010 एवं कार्यालय आदेश सं० 56/का.कि.वि./2010 दिनांक 23.07.2024 की अन्य सेवा शर्तें यथावत रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं०-7 ले०शी० 2052- सचिवालय सामान्य सेवायें - 091 - संलग्न कार्यालय-00 आयोजनागत -13-कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वर्ष 2018 में विहित व्यवस्था के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(दीपक कुमार)  
सचिव

पृष्ठांकन सं० \_\_\_\_\_/46/ XXVI-A-1/2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, इरला चैक, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य समन्वयक, कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एन०एस०डुंगरियाल )  
संयुक्त सचिव।